1

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 17 सन् 2013

पंजीयन दिनांक 20.11.2013

1. नारायण पिता गंगाराम जाति गुर्जर निवासी केलझर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. गेहरीलाल पिता गंगाराम जाति गुर्जर निवासी केलझर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. प्रभु पिता गंगाराम जाति गुर्जर निवासी केलझर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. रतनलाल पिता गंगाराम जाति गुर्जर निवासी केलझर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांटगण

विरूद्ध

1. सरकार जरिये जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़
2. सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़
3. सौरीलाल पिता छगनलाल जाति गुर्जर निवासी केलझर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 166/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2013

उपस्थित– 1. किशनलाल कुमावत –अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 1 व 2
3. रेस्पोडेन्ट सं. 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक 25.07.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टगण वादीगण ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण वादीगण के पिता गंगाराम पिता जालम गुर्जर मौजा कानपुरा के निवासी होकर खातेदार कृषक है। अपने खातेदारी भूमि गंभीरी सिंचाई परियोजना मे अवाप्त हो जाने से तत्कालीन नियमो के तहत जमीन की एवज मे जमीन देने का प्रावधान होने से भूमि अवाप्ति अधिकारी जिलाधीश चित्तौड़गढ़ रेस्पोडेन्ट सं. 1 के आदेश से मिसल नम्बर 70/67 मुत्तफिक रेवेन्यू के माध्यम से मौजा घटियावली की सरहद मे साबिक आराजी नम्बर 1121,1122, रकबा 24 बीघा एवं 7 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 31 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि अपीलान्टगण वादीगण को डुब मे आई भूमि की एवज मे देने का आदेश जारी हुआ जिसे रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने आदेश की पालना मे भूमि दिये जाने का आदेश जारी कर पटवार हल्का घटियावली ने नामान्तकरण सं. 347 दिनांक 28.04.1970

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जो दिनांक 23.05.1970 को स्वीकृत होकर जमाबन्दी संवत् 2027-2030 मे खातेदार गंगाराम के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हो गया। उसके बाद भू-प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान अपीलान्टगण के पिता की उक्त आराजीयात के नवीन आराजी नम्बर 2534, 2535, 2539, 2556, 2557, 2585, 2590 कुल किता 7 कुल रकबा 4.41 हैक्टेयर कायम किये गये। भू-प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान राजस्व कर्मचारियो की गलती से साबिक आराजी का रकबा 31 बीघा 12 बिस्वा के नवीन नम्बरो के अनुसार दशमलव पद्धति से गणना करने पर 6.82 हैक्टेयर दर्ज होना चाहिये था, जबकि भू-प्रबन्ध कर्मचारियो ने बिना किसी कारण के अपीलान्टगण वादीगण के पिता की खातेदारी मे 4.41 हैक्टेयर रकबा ही दर्ज किया। संवत् 2036-2039 के बीच की गई भू-प्रबन्ध कार्यवाही के वक्त भू-प्रबन्ध अधिकारियो ने बिना किसी वैध आदेश के खातेदारी का इन्द्राज रकबा 4.41 हैक्टेयर अपीलान्टगण वादीगण के नाम अंकित कर दी। जबकि अपीलान्टगण वादीगण को यह भूमि विरासती हक से रेस्पोंडेन्ट सं. 1 के आदेश से भूमि के एवज मे दिये जाने से अपीलान्टगण वादीगण के पूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य मे चली आ रही है। आधार वर्ष की जमाबन्दी के अनुसार भी यह कमी रकबा 2.41 हैक्टेयर प्रमाणित होता है। मौके पर नवीन आराजी नम्बर 2586 रकबा 1.00 हैक्टेयर आराजी नम्बर 2587 रकबा 0.34 हैक्टेयर कुलिया 1.34 हैक्टेयर जुडवा खेत मौजा केलझर का खेडा की सीमा वाला को भू-प्रबन्ध अधिकारियो ने बिलनाम दर्ज कर कालान्तर मे रेवेन्यू रेकार्ड को आधार मानकर रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादी सं. 3 गौरीलाल के नाम आंवटित कर दिया। इसी प्रकार घटियावली की साबिक आराजी नम्बर 1121 मे से 24 बीघा कृषि भूमि खातेदारी मे दिये जाने का उल्लेख है। उसके अनुसार साबिक आराजी के नवीन आराजी नम्बर 3087 रकबा 0.70 हैक्टेयर कॉलम नम्बर 25 मिलान खसरा मे किये गये उल्लेख से अपीलान्टगण वादीगण के खाते मे आना प्रमाणित होता है, फिर भी उसे बिलानाम कृषि भूमि दर्ज कर दी। यह कृषि भूमि सार्वजनिक रास्ते के पश्चात् वादीगण अपीलान्टगण के खेत से जुडवा होकर अपीलान्टगण वादीगण के कब्जे मे चली आ रही है। उक्त विवादित आराजीयात को रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी रहन बहबक्षीश नही करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा भी चाही गई।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण वादीगण की ओर से रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण 1 से 3 के विरूद्ध प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार किया। यह निवेदन किया कि अपीलान्टगण वादीगण ने वादपत्र की चरण सं. 2 मे वर्णित आराजीयात मे आराजी नम्बर 2586 व 2587 अपनी गत आराजी नम्बर 1122/4 ग से बनना बताया है जबकि अपीलान्टगण वादीगण द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल से आराजी नम्बर 2586,2587 साबिक आराजी नम्बर 1122 मीन से बनना पाया जाता है। इसी प्रकार अपीलान्टगण वादीगण द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल की नकल से नवीन आराजी नम्बर 3087 रकबा 0.70 हैक्टेयर अपीलान्टगण वादीगण की होना स्वीकार किया। अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को निरस्त करने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार किया। यह निवेदन किया कि साबिक आराजी नम्बर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

1121 का रकबा 60 बीघा रहा है व 1122 का रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा रहा है। उसमे यदि कोई जमीन अपीलान्टगण वादीगण के पिता को किसी सक्षम आदेश से प्राप्त होना मान भी लिया जावे तब भी उक्त दोनो साबिक आराजी के नवीन आराजी नम्बर 2586, 2587, 3087 के रूप मे अपीलान्टगण वादीगण के नाम दर्ज नही होने से राजकीय कृषि भूमि ही मानी जा सकती है। साबिक बन्दोबस्ती रेकार्ड अनुसार साबिक आराजी नम्बर 1121, 1122 राजकीय बिलानाम भूमि थी। भू-प्रबन्ध के बाद परिवर्तित नम्बरो के रूप मे अन्य आराजीयात के साथ आराजी नम्बर 2586, 2587 विधिवत बिलानाम कमाण्ड क्षेत्र दर्ज होने का उल्लेख करते हुए आंवटन वर्ष 1998 मे प्रिमियम राशि के साथ आंवटन हुई है। आराजी नम्बर 2586, 2587 जिसकी अवस्थिति केलझर का खेडा की सीमा मे जुड़वा सरहद घटियावली मे होकर नये सिरे से खातेदारी कृषि भूमि को बिलानाम दर्ज कर दी। अपीलान्टगण वादीगण ने दिनांक 29.05.2009 को वाद कारण पैदा होने का कथन किया है जिसे सही नही माना जा सकता। भू-प्रबन्ध के इन्द्राज की गलती से वाद कारण पैदा होना माना जाये तो वर्ष 1982 से शुरू होकर 1985 मे समाप्त हुआ है। इस वाद कारण को अपीलान्टगण वादीगण ने अंकित नही किया। बल्कि रेस्पोडेन्ट सं. 3 के आधिपत्य के स्थान पर रेकार्ड से गलत खातेदारी अंकित करने का उल्लेख किया है जिससे भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने उभय पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर तनकीयार निर्णय पारित करते हुए अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण वादीगण की ओर से इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपीलान्टगण वादीगण की ओर से इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 प्रतिवादीगण जरिये नोटिस की पालना मे राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण वादीगण ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण वादीगण ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। वादपत्र मे यह निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात अपीलान्टगण वादीगण के पिता स्वर्गीय गंगाराम गुर्जर की कृषि आराजीयात कानपुरा मे होने से व गंभीरी सिंचाई परियोजना मे अवाप्त हो जाने से तत्कालीन नियमो के तहत जमीन के बदले जमीन दी गई जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा मौजा घटियावली की साबिक आराजी नम्बर 1121 व 1122 रकबा 31 बीघा 12 बिस्वा भूमि डूब मे आई भूमि के एवज मे दी गई। जिसका नामान्तकरण सं. 347 दिनांक 28.04.1970 को स्वीकृत होकर संवत् 2027-2030 की जमाबन्दी मे अपीलान्टगण वादीगण के पिता गंगाराम गुर्जर के नाम दर्ज रेकार्ड हुई जिसके नवीन भू-प्रबन्ध मे नवीन आराजी नम्बर 2534, 2535, 2539, 2556, 2557, 2585, 2590 कुल किता 7 कुल रकबा 4.41 हैक्टेयर कायम किये जाकर दर्ज की गई। जबकि साबिक रकबे के अनुसार 6.82 हैक्टेयर दर्ज होना चाहिये। उक्त कमी रकबे को पूर्ण कराने का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। नवीन आराजी नम्बर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

2586 व 2587 रकबा 1.34 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 3087 रकबा 0.70 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.41 हैक्टेयर की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई। अपने वादपत्र के समर्थन मे दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई जिससे भी अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र पूर्णतया प्रमाणित होता था। फिर भी अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना नही मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। जिसमे निवेदन किया गया कि आराजी नम्बर 2586 व 2587 गत आराजी नम्बर 1122/4 ग से बना है। ऐसी स्थिति मे आराजी नम्बर 2586 व 2587 बिलानाम सरकार कमाण्ड क्षैत्र भूमि रही है। उक्त आराजीयात को कमाण्ड क्षैत्र भूमि होने से रेस्पोडेन्ट सं. 3 को कीमतन आंवटित की जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया है। जबकि अपीलान्टगण वादीगण के पिता को आराजी नम्बर 1121/7 रकबा 24 बीघा 1122/4 ग रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि आंवटित की जाकर उनके खातेदारी मे दर्ज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना नही मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की गई है। उक्त निर्णय व डिक्री विधिसम्मत होकर अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण वादीगण ने भू-प्रबन्ध के दौरान कम हुए रकबे को दुरस्त किये जाने का वादपत्र प्रस्तुत किया है। वादपत्र के साथ राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां भी प्रस्तुत की है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार नवीन आराजी नम्बर 2586 व 2587 कुल किता 2 रकबा 1.34 हैक्टेयर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम आवंटन से गैर खातेदारी मे दर्ज हुई है, उसके पश्चात खातेदारी मे दर्ज हो चुकी है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांटगण वादीगण की ओर से मौका कमिश्नरी रिपोर्ट मंगवाये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसको अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अनिर्णित रखते हुए निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायायल ने अपने निर्णय मे कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि अपीलांटगण वादीगण का रकबा नवीन आराजी संख्या 2586, 2587 मे जाना नहीं पाया गया तो किस नवीन कृषि आराजीयात मे सम्मिलित हुआ है, ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिकी अस्पष्ट होकर विधि अनुसार होना नहीं पाया जाता है। जिससे अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित प्रकरण संख्या 166/2009 निर्णय एवं डिकी दिनांक 27.08.2013 निरस्त की जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से उक्त पत्रावली

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज)

मे उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे विस्तृत मौका रिपोर्ट मय राजस्व रेकॉर्ड के तलब की जाकर पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकॉर्ड का पुनः परीक्षण किया जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए तनकीवार अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 23.08.2022 को सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)